[भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खण्ड-3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं. 08/2019-सीमा शुल्क

नई दिल्ली, दिनांक 25 मार्च, 2019

सा.का.नि. (अ), सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्वारा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की उन प्रत्येक अधिसूचनाओं में, जो कि नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में दी गई हैं, आगे भी संशोधन करती है तथा ये संशोधन उक्त सारणी के कॉलम (3) में दी गई तत्संबंधी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट तरीके से किए जाएंगे, यथा:-

सारणी

क्र.सं.	**अधिसूचना सं. और तारीख**	**संशोधन**
(1)	**(2)**	**(3)**
1.	16/2015-सीमा शुल्क, दिनांक 1 अप्रैल, 2015 [*सा.का.नि. सं.* 252(अ), तारीख 1 अप्रैल, 2015 के द्वारा]	उक्त अधिसूचना में, प्रारम्भिक पैराग्राफ में, उपवाक्य (iii) के परंतुक में, अंकों और शब्द ''31 मार्च, 2019'', के स्थान पर अंकों और शब्द ''31 मार्च, 2020'' को प्रतिस्थापित किया जाएगा।
2.	18/2015-सीमा शुल्क, दिनांक 1 अप्रैल, 2015 [*सा.का.नि. सं.* 254(अ), तारीख 1 अप्रैल, 2015 के द्वारा]	उक्त अधिसूचना में, प्रारम्भिक पैराग्राफ में, शर्त (xiii) में, अंकों और शब्द ''31 मार्च, 2019'', के स्थान पर अंकों और शब्द ''31 मार्च, 2020'' को प्रतिस्थापित किया जाएगा।
3.	20/2015-सीमा शुल्क, दिनांक 1 अप्रैल, 2015 [*सा.का.नि. सं.* 256(अ), तारीख 1 अप्रैल, 2015 के द्वारा]	उक्त अधिसूचना में, प्रारम्भिक पैराग्राफ में, शर्त (xiv) में, अंकों और शब्द ''31 मार्च, 2019'', के स्थान पर अंकों और शब्द ''31 मार्च, 2020'' को प्रतिस्थापित किया जाएगा।
4.	22/2015-सीमा शुल्क, दिनांक 1 अप्रैल, 2015 [*सा.का.नि. सं.* 258(अ), तारीख 1 अप्रैल, 2015 के द्वारा]	उक्त अधिसूचना में, प्रारम्भिक पैराग्राफ में, शर्त (xiii) में, अंकों और शब्द ''31 मार्च, 2019'', के स्थान पर अंकों और शब्द ''31 मार्च, 2020'' को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

5.	45/2016-सीमा शुल्क, दिनांक 13 अगस्त, 2016 [*सा.का.नि. सं.* 795(अ), तारीख 13 अगस्त, 2016 के द्वारा]	उक्त अधिसूचना में, प्रारम्भिक पैराग्राफ में, शर्त (xii) में, अंकों और शब्द ''31 मार्च, 2019'', के स्थान पर अंकों और शब्द ''31 मार्च, 2020'' को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[फा.सं. 605/52/2017-डीबीके]

(आनन्द कुमार झा)

अवर सचिव, भारत सरकार

नोट :

(1) प्रधान अधिसूचना सं. 16/2015-सीमा शुल्क, दिनांक 1 अप्रैल, 2015 को सा.का.नि. 252 (अ), दिनांक 1 अप्रैल, 2015 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड-3, उपखण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार संशोधन अधिसूचना सं. 66/2018-सीमा शुल्क, दिनांक 26 सितम्बर, 2018, जिसे सा.का.नि. 926 (अ), दिनांक 26 सितम्बर, 2018 के तहत भारत के राजपत्र असाधारण के भाग II, खंड-3, उपखण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा किया गया है।

(2) प्रधान अधिसूचना सं. 18/2015-सीमा शुल्क, दिनांक 1 अप्रैल, 2015 को सा.का.नि. 254 (अ), दिनांक 1 अप्रैल, 2015 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड-3, उपखण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार संशोधन अधिसूचना सं. 01/2019-सीमा शुल्क, दिनांक 10 जनवरी, 2019, जिसे सा.का.नि. 18(अ), दिनांक 10 जनवरी, 2019 के तहत भारत के राजपत्र असाधारण के भाग II, खंड-3, उपखण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा किया गया है।

(3) प्रधान अधिसूचना सं. 20/2015-सीमा शुल्क, दिनांक 1 अप्रैल, 2015 को सा.का.नि. 256 (अ), दिनांक 1 अप्रैल, 2015 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड-3, उपखण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार संशोधन अधिसूचना सं. 01/2019-सीमा शुल्क, दिनांक 10 जनवरी, 2019, जिसे सा.का.नि. 18(अ), दिनांक 10 जनवरी, 2019 के तहत भारत के राजपत्र असाधारण के भाग II, खंड-3, उपखण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा किया गया है।

(4) प्रधान अधिसूचना सं. 22/2015-सीमा शुल्क, दिनांक 1 अप्रैल, 2015 को सा.का.नि. 258 (अ), दिनांक 1 अप्रैल, 2015 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड-3, उपखण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार संशोधन अधिसूचना सं. 66/2018-सीमा शुल्क, दिनांक 26 सितम्बर, 2018, जिसे सा.का.नि. 926 (अ), दिनांक 26 सितम्बर, 2018 के तहत भारत के राजपत्र असाधारण के भाग II, खंड-3, उपखण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा किया गया है।

(5) प्रधान अधिसूचना सं. 45/2016-सीमा शुल्क, दिनांक 13 अगस्त, 2016 को सा.का.नि. 795 (अ), दिनांक 13 अगस्त, 2016 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड-3, उपखण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार संशोधन अधिसूचना सं. 66/2018-सीमा शुल्क, दिनांक 26 सितम्बर, 2018, जिसे सा.का.नि. 926 (अ), दिनांक 26 सितम्बर, 2018 के तहत भारत के राजपत्र असाधारण के भाग II, खंड-3, उपखण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा किया गया है।